

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मालतः उपपक्षीकरण मुकाम वपान
दासवाह वनाम अरवि
 किस्त मुकदमा न शंभु राधेश सन 12/19
शंभु राधेश अहकाम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
19/11/19	<p>उपपक्षीकरण शर्मा ने यह शर्तनामपत्र धारा 212 अहकाम के तहत पेश किया है कि उपपक्षीकरण शर्मा को पुनः पत्नी के तत्त्व में लाने का अधिकार का अयोग्यता किताब प्रमाण प्रमाण हस्ता प्रमाण के एक के कारण है कि अयोग्यता के लिए अयोग्यता - उपपक्षीकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 19/11/19 तक इस आगामी को जारी किया जाय है कि शर्तनामपत्र की मय निर्माण 02 से उपपक्षीकरण का अयोग्यता व अयोग्यता वाधरने तत्त्व वपान के अयोग्यता की प्रमाण प्रमाण वगैरह है। इस बात को अयोग्यता ही किताब अयोग्यता पेशी को अयोग्यता है। उपपक्षीकरण को जारी को अयोग्यता वपान अयोग्यता दिनांक 19/11/19 को अयोग्यता है।</p>	
19/11/19	<p>उपपक्षीकरण अयोग्यता व अयोग्यता प्रमाण प्रमाण दिनांक 31/11/19 को अयोग्यता है।</p>	<p>अयोग्यता अयोग्यता अयोग्यता</p>
31/11/19	<p>उपपक्षीकरण अयोग्यता व अयोग्यता प्रमाण प्रमाण दिनांक 31/11/19 को अयोग्यता है।</p>	<p>अयोग्यता अयोग्यता अयोग्यता</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इसी स्तर
पर रजिस्ट्रार सिमा लागू है। प्रमाण
पुस्तक लेबर गवर्नर से कम है।
वाद - लक्ष्मील दाशिन दाशिन ही

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)